न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/19 A /2019	04.12.2019	25.03.2022

बउनवान

1–शेरखां पुत्र श्री असलमखां जाति मेव उम्र करीब 48 साल निवासी ग्राम मन्नाका तहसील व जिला अलवर राजस्थान,

2–कालूखां पुत्र श्री असलमखां जाति मेव उम्र करीब 38 साल निवासी ग्राम मन्नाका तहसील व जिला अलवर राजस्थान,

3–जुम्मेखां पुत्र श्री सन्नूखां जाति मेव उम्र करीब 38 साल निवासी ग्राम मन्नाका तहसील व जिला अलवर राजस्थान,

4–आमीनखां पुत्र श्री सन्नूखां जाति मेव उम्र करीब 30 साल निवासी ग्राम मन्नाका तहसील व जिला अलवर राजस्थान

––अपीलाण्टस

(बनाम)

1– ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर राजस्थान जरिये सरपंच

––रैस्पाडैण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर हाल 684 रकबा 2.71 हैक्टर, 694 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.85 हैक्टर स्थित ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान के अभिलिखित खातेदार काश्तकार मोहनलाल गर्ग एण्ड संस एच यू एफ कर्ता मोहनलाल गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल गर्ग जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर 297 स्कीम नम्बर 04 राजेन्द्र नगर शहर अलवर राजस्थान, शीलादेवी पत्नि श्री मदनलाल, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम खूटेटाकला तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान एंव उमा गोयल पत्नि श्री हुकमचंद गोयल जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 15 बी फ्रैण्डस कॉलोनी शहर अलवर राजस्थान थे। जिन्होने अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा के समस्त अधिकार हम अपीलान्टस सं.1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 20–06–2011 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 21 पृष्ठ संख्या 90 क्रम संख्या 2011002631 के विक्रय कर दिये, तथा उक्त आराजी में शेष 1/2 हिस्सा के समस्त अधिकार हम अपीलान्टस सं.3 व 4 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20–06–2011 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 21 पृष्ठ संख्या 93 क्रम संख्या 2011002634 के विक्रय कर दिये, और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा करा दिया। तथा बयनामा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के अनुसार हम अपीलान्टस के हक में पंजीबद्ध करा दिये। जिस आराजी पर हम अपीलान्टस बरोज खरीद से आज तक काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वर्तमान में मौके पर हम अपीलान्टस का वास्तविक/भौतिक कब्जा है। जिस बयनामा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 687

दिनांक 30–06–2011 को भरकर भू. अ. निरीक्षक के समक्ष पेश किया, जिसका दिनांक 05–07–2011 को मिलान किया गया, तथा तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर राजस्थान रैस्पाडेन्ट के समक्ष पेश किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर राजस्थान रैस्पाडेन्ट द्वारा दिनांक 05–07–2011 को विधि विरूद्ध व वेजा तरीके पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, स्वीकार किया गया है। जिस आज्ञा नामांतकरण से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। हम अपीलान्टस सं.1 व 2 ने उक्त विवादित आराजी में से 1/2 हिस्सा उक्त अभिलिखित खातेदार काश्तकार से खरीद किया हैं, तथा हम अपीलान्टस सं.3 व 4 ने उक्त विवादित आराजी में से 1/2 हिस्सा उक्त अभिलिखित खातेदार काश्तकार से खरीद किया है, जो उक्त रजिस्टर्ड बयनामो दिनांक 20–06–2011 अनुसार खरीद किया है। इसलिए कानूनन उक्त रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर रैस्पाडेन्ट को अपीलाधीन इंतकाल 1/2 हिस्से का अपीलान्ट सं.1 व 2 व शेष 1/2 हिस्से का अपीलान्ट सं.3 व 4 के हक में स्वीकार करना चाहिये था। लेकिन रैस्पाडेन्ट ने बयनामा के आधार पर इंतकाल तस्दीक नही किया गया है। और बयनामा के विपरीत अपीलाधीन इंतकाल संख्या 687 " अपीलान्ट सं.1 व 2 के हक में 1/4 हिस्सा व अपीलान्ट सं.3 व 4 के हक में योग्य है। अपीलाधीन आज्ञा कायम रहने से हम अपीलान्टस के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है। रैस्पाडेन्ट ने आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व ना तो मौका देखा, ना मौके की कोई रिपोर्ट तलब की गई। ना ही आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व अपीलाण्टस जो कि पीडित व हितबद्ध पक्षकार हैं, को तलब किया गया, ना अपीलाण्टस को कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा नामांतकरण मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण अपास्त होने योग्य है। तहत अदालत में अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित की है। इसलिए निरस्तनीय है। हम अपीलान्टस को पूर्व में उक्त आज्ञा ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर राज. दिनांक 05–07–2011 नामान्तकरण बय सं.687 ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान की को जानकारी नहीं थी। क्योंकि उक्त आज्ञा रैस्पाडेन्ट द्वारा हम अपीलान्टस की गैरहाजरी व गैरमौजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये पारित की गई। इसलिए अपील समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। जिसमें हम अपीलान्टस की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही है। उक्त आज्ञा ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर राज. दिनांक 05–07–2011 नामान्तकरण बय सं. 687 ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान की सर्वप्रथम जानकारी हम अपीलान्टस को दिनांक 28–11–2019 को हुई, जब पटवारी हल्का ने हम अपीलान्टस को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से उक्त आज्ञा की जानकारी की। जानकारी होने पर हम अपीलान्टस ने आलोच्य आज्ञा की नकल के लिए दिनांक 28–11–2019 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 28–11–2019 को तैयार होकर दिनांक 28–11–2019 को सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 29–11–2019 को नकल वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 28–11–2019 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। आज्ञा दिनांक 05–07–2011 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 28–11–2019 तक का समय हम अपीलान्टस की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन, किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर राज. दिनाक 05–07–2011 नामान्तकरण बय सं.687 ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान अपास्त फरमायी जाकर उक्त रजिस्टर्ड बयनामो दिनांक 20–06–2011 के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल में दर्ज उक्त "अपीलान्ट सं.1 व 2 का 1/4 हिस्सा व अपीलान्ट सं.3 व 4 का 1/4 हिस्सा" को कलमजन किया जाकर उक्त बयनामा के आधार पर "अपीलान्ट सं.1 व 2 का 1/2 हिस्सा व अपीलान्ट सं.3 व 4 का 1/2 हिस्सा "का इंतकाल दर्ज व तस्दीक करने के लिए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना असालतन व वकालतन हाजिर अदालत नही आयें। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रा.पत्र दफा–5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट नें आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 2.71 है0, 694 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम घघोली के खातेदार मोहन लाल गर्ग एण्ड सन्स एवं शीला देवी पत्नि मदन लाल, उमा गोयल पत्नि हुकम चन्द गोयल, से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की। मुताबिक बयनामा विक्रेता नें प्रश्नगत आराजी बाबत् समस्त अधिकार क्रेता को देने एवं कब्जा सम्भलवाने का अंकन किया हुआ है। तहत अदालत को अपने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व विधिक तथ्यों को गौण करते हुऐं आलौच्य आदेश पारित किया है। जो प्रथम द्रष्टया अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलौच्य आदेश दिनांक 05.07.2011 इन्तकाल संख्या 687 वाके ग्राम घेघोली निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मुताबिक बयनामा अपीलान्ट के हक मे पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर